दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 06.03.2017 का कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 04.00 बजे
स्थान : व्यवसाय प्रशासन विभाग कमेटी हाल

उपस्थिति:

1.	प्रो0 पृथ्वीश नाग	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 (श्रीमती) शैलजा सिंह	सदस्य
3.	प्रो0 गोपाल प्रसाद	सदस्य
4.	प्रो0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
5.	प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित	सदस्य
6.	डॉ0 सुभि धूसिया	सदस्य
7.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
8.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
9.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी
10.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक
11.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने पूर्व कुलपति प्रो0 अशोक कुमार को कार्यपरिषद की तरफ से उसकी सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यपरिषद् के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो0 रामबरन पटेल, आचार्य –भूगोल विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर; डॉ0 भैरोशंकर उपाध्याय, प्राणिविज्ञान विभाग, स्वमी देवानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मठलार, देवरिया; प्रो0 रविप्रताप सिंह, आचार्य –वाणिज्य विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर; एवं प्रो0 एस0के0सेनगुप्ता, अधिष्ठाता–विज्ञान संकाय, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं प्रो0 (श्रीमती) शैलजा सिंह, अधिष्ठाता– शिक्षा संकाय, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं डॉ0 सुभी धुसिया, समाजशास्त्र विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् कुलपति जी ने भी कार्य परिषद् के समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए सहयोग की अपेक्षा की।

तत्पश्चात् कुलसचिव ने बैठक की निम्नलिखित कार्यसूची प्रस्तुत की –

1. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्पेशल अपील सं0 757/2016 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2016 के अनुपालन में सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर की स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा विषय में सत्र 2014—15 की सम्बद्धता के प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में तत्कालीन कुलपति के आदेश सं0 647/कुलपति/2017 दिनांक 09/11—02—2017 पर विचार।

कुलसचिव ने तत्कालीन कुलपति के आदेश सं0 647/कुलपति/2017 दिनांक 09/11—02—2017 से कार्यपरिषद् को अवगत कराया।

कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा विषय में सत्र 2014—15 में सम्बद्धता प्रदान नहीं का जा सकती।

2. अध्यक्ष की अनुमति से दिनांक 25 मार्च, 2017 को दीक्षान्त समारोह का आयोजन करने एवं इस दीक्षान्त समारोह में प्रो0 शैलेष नायक, प्रख्यात वैज्ञानिक, भूतपूर्व सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत, सरकार, नई दिल्ली को मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षान्त भाषण करने सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

बैठक के अन्त में प्रो0 यू0पी0 सिंह ने अपनी तरफ से तथा विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की तरफ से अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया।

कुलसचिव

कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.06.2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 (श्रीमती) शैलजा सिंह	सदस्य
3.	डॉ0 अवधेश सिंह	सदस्य
4.	प्रो0 ईश्वर शरण विश्वकर्मा	सदस्य
5.	प्रो0 राम प्रकाश	सदस्य
6.	प्रो0 गोपाल प्रसाद	सदस्य
7.	प्रो0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
8.	प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित	सदस्य
9.	डॉ0 (श्रीमती) सुभी धूसिया	सदस्य
10.	श्री धर्मेन्द्र नाथ वर्मा	सदस्य
11.	डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा	सदस्य
12.	डॉ0 स्वयं प्रकाश लाल	सदस्य
13.	प्रो0 एच0पी0 तिवारी	सदस्य
14.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
15.	श्री पी0एन0 सिंह, लेखाधिकारी	कार्यवाहक वित्त अधिकारी
16.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित
17.	श्री शत्रोहन वैश्य, कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया तथा सभी माननीय सदस्यों का परिचय लिया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो0 यू0पी0सिंह, मु0 राजेन्द्रनगर, पूर्वी, निकट–चिरकुटवा बाबा स्थान, गोरखनाथ, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 मानेन्द्र प्रताप सिंह, प्राचार्य, श्यानेश्वर डिग्री कालेज, सिकरीगंज, गोरखपुर एवं श्री धर्मेन्द्र नाथ वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, बेतियाहाता, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की–

बिन्दु संख्या	बिन्दु
1.	कार्य परिषद् ने यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत समाजशास्त्र विषय में स्तर तीन से चार (एजीपी 8000–9000) एवं स्तर चार से पाँच (एजीपी 9000–10000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 24.06.2017 को सम्पन्न चयन समिति की संस्तुतियों पर विचार किया। इस प्रकरण पर विचार करते समय कार्यपरिषद् सदस्या डॉ0 (श्रीमती) सुभी धुसिया सदन से उठकर बाहर चली गयीं, क्योंकि वह चयन समिति में एक अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित हुई थीं। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने समाजशास्त्र विषय में चरण चार से चरण पाँच हेतु ए0जी0पी0 रू0 9000 से 10000 में प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 24.06.2017 में की गयी संस्तुति को स्वीकार करते हुए–

	– कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह एवं डॉ0 शफीक अहमद, सहयुक्त आचार्य, (स्टेज चार) ए0जी0पी0 रू0 9,000/– समाजशास्त्र विभाग को आचार्य, (स्टेज पाँच) पे बैण्ड 37,400– 67,000 एवं ए0जी0पी0 रू0 10,000/– में अर्हता तिथि क्रमशः दिनांक 12.10.2014 एवं दिनांक 21.12.2015 से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया। – कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 सुमी धूसिया एवं डॉ0 अंजू, सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) ए0जी0पी0 रू0 8,000/– समाजशास्त्र विभाग को सहयुक्त आचार्य, (स्टेज चार) पे बैण्ड रू0 37,400– 67,000 एवं ए0जी0पी0 रू0 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
2.	कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13.06.2017 की संस्तुतियों एवं रेट (RET) परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13.06.2017 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए रेट (RET) परीक्षा अगस्त, 2017 में आयोजित करने का सुझाव दिया। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन अभ्यर्थियों का पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में पंजीकरण की कार्यवाही चल रही है, उनकी सूची सम्बन्धित अधिष्ठाता से दिनांक 03.07.2017 तक प्रत्येक स्थिति में मांग ली जाय तथा उन्हें यह भी सूचित कर दिया जाय कि ऐसे अभ्यर्थियों का पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में पंजीकरण दिनांक 16.08.2017 तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण कर लिया जाय।
3.	कार्य परिषद् ने विभिन्न सत्रों में जिन अभ्यर्थियों द्वारा किसी कारणवश राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार की विशेष परीक्षा नहीं दी गयी/असफल अभ्यर्थियों के स्नातक स्तर पर होने वाले राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार की विशेष परिस्थिति में परीक्षा कराने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि "राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' प्रश्नपत्र में छूटे हुए/अनुत्तीर्ण उन समस्त छात्र/छात्राओं को पुनः एक और अवसर 'मर्सी इग्जाम' के रूप में देने का निर्णय लिया, ताकि छात्र "राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' प्रश्नपत्र क्लीयर न करने के कारण स्नातक की उपाधि से वंचित न हों।
4.	कार्यपरिषद् ने शासनादेश संख्या 124/सत्तर–1–2017–16(114)/2010 टी0सी0 दिनांक 08 अप्रैल, 2017 जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के संशोधित विनियमों को लागू किये जाने सम्बन्धी है, पर विचार किया। कार्य परिषद ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए निर्णय लिया कि उपर्युक्त को परिनियमावली में यथास्थान समाहित कर लिया जाय।
5.	कार्य परिषद् ने मा0 कुलाधिपति की प्रमुख सचिव के पत्र संख्या ई–3048/7–जी0एस0/2017–1 दिनांक 28.04.2017 जो विश्वविद्यालय के डॉ0 आर0डी0 पाण्डेय, शिक्षाशास्त्र विभाग की प्रोन्नति हेतु सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति का लिफाफा खोले जाने की अनमुति के सम्बन्ध में है, पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने डॉ0 आर0डी0 पाण्डेय, सहायक आचार्य,

	शिक्षाशास्त्र विभाग की प्रोन्नति हेतु सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 28.06.2016 की संस्तुति का लिफाफा खोले जाने सम्बन्धी मा0 कुलाधिपति की प्रमुख सचिव के पत्र संख्या ई–3048/7–जी0एस0/2017–1 दिनांक 28.04.2017 द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने से अवगत होते हुए, स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 28.06.2016 की संस्तुति को स्वीकार किया एवं डॉ0 आर0डी0 पाण्डेय को उनकी अर्हता की तिथि से सहायक आचार्य चरण–2 एवं एजीपी रू0 7000/– दिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
6.	कार्य परिषद् ने प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.06.2017 की संस्तुतियों से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् ने प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.06.2017 की संस्तुतियों से अवगत होते हुए बी0एस–सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) की प्रवेश परीक्षा एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में एम0एड0 (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश की अनुमति प्रदान की।
7.	अध्यक्ष की अनुमति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.06.2017 के अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु संख्या– 1 द्वारा लिये गये निर्णय– "परीक्षा समिति ने निर्णय लिया है ऐसे महाविद्यालयों से अर्थदण्ड के रूप में रू0 5000–00 प्रति छात्र की दर से विश्वविद्यालय में जमा कराकर परीक्षाफार्म की प्रक्रिया पूर्ण कराकर निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराकर विभिन्न कक्षाओं की परीक्षा हेतु बिना आनलाइन फार्म भरने वाले परीक्षा में सम्मिलित छात्रों का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय। साथ ही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष को इस आशय की चेतावनी पत्र भी निर्गत किया जाय कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति उनके द्वारा न हो", पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि सम्बन्धित छात्रों का नियमानुसार परीक्षा फार्म (मैनुअल) भराकर एवं अन्य कार्यवाही पूर्णकर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय। छात्रों पर कोई अर्थदण्ड न लगाया जाय तथा प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष को चेतावनी दी जाय कि यदि इसकी पुनरावृत्ति की जाती है तो महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा इस आशय की सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया।

प्रो0 एस0के0 दीक्षित, सदस्य– कार्यपरिषद् द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

01/07/17
कुलसचिव
सचिव

01/07/17
कुलपति
अध्यक्ष

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद की बैठक दिनांक 30.07.2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	डॉ0 अवधेश सिंह	सदस्य
3.	प्रो0 ईश्वरशरण विश्वकर्मा	सदस्य
4.	प्रो0 राम प्रकाश	सदस्य
5.	प्रो0 गोपाल प्रसाद	सदस्य
6.	प्रो0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित	सदस्य
8.	डॉ0 रजीउर रहमान	सदस्य
9.	श्री धर्मेन्द्र नाथ वर्मा	सदस्य
10.	डॉ0 मानेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा	सदस्य
12.	डॉ0 स्वयं प्रकाश लाल	सदस्य
13.	प्रो0 एच0पी0 तिवारी	सदस्य
14.	डॉ0 हर्मेश सिंह चौहान	सदस्य
15.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
16.	न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिंह	सदस्य
17.	श्री पी0एन0 सिंह	वित्त अधिकारी
18.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य डॉ0 (श्रीमती) संगीता पाण्डेय, उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 रजीउर रहमान, उपाचार्य, उर्दू विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की–

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 17.12.2016 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ सम्पुष्ट किया– 1. बिन्दु संख्या–1 में माननीय सदस्य प्रो0 गोपाल प्रसाद द्वारा उठाये गये परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों की पूर्ण शुल्क मुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव को वित्त समिति को सन्दर्भित किया गया तथा

	निर्णय लिया गया कि वित्त समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यदि पूर्ण शुल्क माफ किया जाता है तो सम्बन्धित छात्र की नियमानुसार फीस वापसी कर दी जाय। 2. बिन्दु संख्या– 12 पर माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिंह ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण पर विभागीय समिति की आख्या में दिये गये सुझाव के अनुसार सभी सम्बद्ध कर्मचारियों को चेतावनी जारी की जाय कि वे भविष्य में सावधानी बरतें।
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् अपनी बैठक दिनांक 17.12.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।**
3.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 06.3.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 06.3.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्ट किया गया।**
4.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 06.3.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 06.3.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।**
5.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.06.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया गया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 28.06.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।**
6.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.06.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 28.06.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।**
7.	कार्य परिषद् वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.03.2017 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.03.2017 की संस्तुतियों पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्तावित बजट में आवश्यक संशोधन कर शासन को भेज दिया जाय तथा किये गये संशोधन से कार्यपरिषद् को अवगत करा दिया जाय। संशोधित बजट के अनुसार कार्यवाही की जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष का बजट अक्टूबर माह में कार्यपरिषद् से पास करा लिया जाय और शासन को भेज दिया जाय। साथ ही यह भी विचार किया गया कि वेतन मद में काफी घाटे की स्थिति है। वर्तमान में यदि रिक्त पदों पर भर्ती हो जाय तो विश्वविद्यालय को वेतन भुगतान करने में काफी दिक्कत होगी। ऐसी स्थिति में यदि राज्य सरकार वेतन मद में होने वाले व्यय को वहन करने की स्वीकृति प्रदान कर देती है तो विश्वविद्यालय अपने अन्य विकास कार्य की योजनाओं को पूर्ण कर सकता है।

8.	कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 11.01.2016 के बिन्दु संख्या– 13 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में डॉ0 अमरेश चन्द्र शुक्ल, पूर्व उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग के प्रकरण पर मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति की आख्या पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि डॉ0 अमरेश चन्द्र शुक्ल, पूर्व उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग के प्रकरण पर गठित समिति की आख्या में सुझाये गये दो बिन्दुओं– 1. नियुक्ति प्राधिकारी इनकी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को स्वीकार कर लें एवं 2. शासनादेश दिनांक 21 मई, 1998 को उनकी वांछित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के दिनांक 04 जुलाई, 1996 को आच्छादित मानते हुए पेंशन की अनुमति शासन द्वारा प्रदान कर दी जाय। इस प्रकरण में कार्यपरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि शासनादेश का उल्लेख करते हुए प्रकरण को शासन को सन्दर्भित किया जाय।
9.	कार्यालय आदेश संख्या 9710/सा0प्र0/2017 दिनांक 10.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.20 (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत डॉ0 अवधेश कुमार तिवारी, आचार्य, वाणिज्य विभाग को दिनांक 12.02.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होगा। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
10.	कार्यालय आदेश संख्या 9699/सा0प्र0/2017 दिनांक 04.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.20 (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत डॉ0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 05.01.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए गणित एवं सांख्यिकी विभाग के विभागाध्यक्ष पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
11.	कार्यालय आदेश संख्या 9907/सा0प्र0/2017 दिनांक 23.03.2017 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 27(4) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत प्रो0 जितेन्द्र मिश्र, विधि विभाग को दिनांक 25.03.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता– विधि संकाय के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
12.	कार्यालय आदेश संख्या 9908/सा0प्र0/2017 दिनांक 23.03.2017 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय परिनियम 02.20 (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत प्रो0 जितेन्द्र मिश्र, विधि विभाग को दिनांक 25.03.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष–विधि विभाग के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
13.	कार्यालय आदेश संख्या 10305/सा0प्र0/2017 दिनांक 01.07.2017 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय परिनियम 02.20 (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के

आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्ग निम्नलिखित शिक्षकों उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।

क0सं0	नाम	विभाग	विभागाध्यक्ष नियुक्त होने की तिथि
1.	प्रो0 कामेश्वर नाथ सिंह	भूगोल	03.07.2017
2.	प्रो0 करुणाकर राम त्रिपाठी	अर्थशास्त्र	03.07.2017
3.	प्रो0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह	समाजशास्त्र	04.07.2017
4.	प्रो0 सतीश चन्द्र पाण्डेय	रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	04.07.2017
5.	प्रो0 शैलजा सिंह	शिक्षाशास्त्र	08.07.2017

कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।

14. कार्यालय आदेश संख्या 9940/सा0प्र0/2017 दिनांक 07.04.2017 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.12 (यथासंशोधित) में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 रविशंकर सिंह, आचार्य, भौतिकी विभाग को अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी ओदश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान किया।

15. कार्यालय आदेश संख्या 10109/सा0प्र0/2017 दिनांक 27.05.2017 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.20 (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत डॉ0 हुमा जावेद सब्जपोश, आचार्य, अंग्रेजी विभाग को दिनांक 30.05.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।

कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।

16. कार्यालय आदेश संख्या 9941/साप्र/2017 दिनांक 07.04.2017 जो मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार डॉ0 नूतन त्यागी, आचार्य, भूगोल विभाग को मानव संसाधन विकास केन्द्र (एकेडेमिक स्टाफ कालेज) के निदेशक पद पर अगले आदेश तक नियुक्ति सम्बन्धी है, आदेश से अवगत होना।

कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।

17. कार्यालय आदेश संख्या 10042/साप्र/2017 दिनांक 19.05.2017 जो मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार श्री अजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित वाद में पैरवी करने हेतु गठित पैनल में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी है, आदेश से अवगत होना।

कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।

18. कार्यालय आदेश संख्या 10025/साप्र/2017 दिनांक 17.05.2017 जो डॉ0 रजनी कान्त पाण्डेय, आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग के द्वारा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में अन्तरिन कुलपति पद पर कार्यरत रहने की प्रस्थिति में पूर्व स्वीकृत असाधारण

	अवकाश दिनांक 23.05.2016 से एक वर्ष के पश्चात् दिनांक 23.05.2017 से पुनः एक वर्ष के लिए मांगे गये असाधारण अवकाश को स्वीकृत करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
19.	कार्य परिषद् प्रो0 अनीता माईल्स, आचार्य, अंग्रेजी विभाग का आवेदन पत्र दिनांक 17.01.2017 जो दिनांक 01.08.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति माँगे जाने सम्बन्धी है, पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रो0 अनीता माईल्स, आचार्य, अंग्रेजी विभाग का दिनांक 01.08.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करते हुए इस प्रकरण को शासन को भेजने पर सहमति व्यक्त की।**
20.	कार्यालय ज्ञाप संख्या 8299/यू0जी0सी0/2017 दिनांक 29.05.2017 जो श्री हेमशंकर वाजपेयी, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग का निदेशक, IQAC पद पर एक वर्ष की सेवा विस्तार से सम्बन्धित है, से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
21.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में रिक्त वि0वि0 अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के पदों के सापेक्ष सरकारी विभागों के सेवा निवृत्त अभियन्ताओं से निश्चित मानदेय के आधार पर सेवा लिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में रिक्त वि0वि0 अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के पदों के सापेक्ष निश्चित मानदेय के आधार पर एक सहायक अभियन्ता (सिविल) से सेवा लेने की अनुमति प्रदान की।**
22.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र पर अंशकालिक चिकित्सक (MD) को निश्चित मानदेय के आधार पर विश्वविद्यालय डाक्टर्स के पैनल में सम्मिलित करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में रिक्त डाक्टर के पदों के सापेक्ष निश्चित मानदेय के आधार पर दो डाक्टर (एम0डी0/एम0बी0बी0एस0) से सेवा लेने की अनुमति प्रदान की।**
23.	प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 16.05.2017 के बिन्दु संख्या 1 (ग) जो स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष 2016–17 में संस्कृत एवं अन्य विषयों में प्रवेशित छात्रों, जिनका अन्तराल तीन वर्ष से अधिक का है, का प्रवेश नियमानुसार न होने के कारण निरस्त किये जाने सम्बन्धी निर्णय से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
24.	कार्य परिषद् ने डॉ0 अशोक कुमार सिंह, प्राचार्य, उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना कुशीनगर का पत्र संख्या 286/2016–17 दिनांक 05.12.2016 जो उदित नारायण महाविद्यालय, पडरौना, कुशीनगर का नाम उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना, कुशीनगर करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में है, पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने "उदित नारायण महाविद्यालय, पडरौना, कुशीनगर" का नाम "उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना, कुशीनगर" करने की अनुमति प्रदान की।**
25.	कार्य परिषद् ने मा0 कुलपति जी ओदश संख्या : 645/कुलपति/2017 दिनांक 09/11 फरवरी, 2017 जो ज्ञान भारती महाविद्यालय, रगड़गंज, कुशीनगर की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया।

	सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि मा0 कुलपति जी ओदश संख्या : 645/कुलपति/2017 दिनांक 09/11 फरवरी, 2017 जो ज्ञान भारती महाविद्यालय, रगड़गंज, कुशीनगर की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी है का पुनः परीक्षण करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि स्नातक भाग–दो एवं तीन में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षा करायी जाय तथा जब तक मा0 कुलपति जी की आख्या प्राप्त नहीं हो जाती है तथा कार्य परिषद् द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश न दिया जाय।
26.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में एकमुश्त रू0 10 लाख या उससे अधिक के निर्माण/जिर्णोद्धार का कार्य प्रतिष्ठित निर्माण एजेन्सी से कराये जाने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में एकमुश्त रू0 25 लाख या उससे अधिक के निर्माण/जिर्णोद्धार का कार्य सरकारी निर्माण एजेन्सी के माध्यम से कराया जाय।
27.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय का मास्टर प्लान तैयार करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि यदि विश्वविद्यालय का पूर्व का कोई मास्टर प्लान हो तो उसके सहयोग से अन्यथा की स्थिति में नये रूप से विश्वविलय का मास्टर प्लान तैयार किया जाय।
28.	कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2017 के कार्यवृत्त की संस्तुति एवं विकास समिति द्वारा संस्तुत विश्वविद्यालय परिसर में दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु स्थल चयन पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 22 मई, 2017 के कार्यवृत्त की संस्तुति एवं विकास समिति द्वारा संस्तुत को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु निर्धारित स्थान प्रशासकीय भवन के सामने प्रांगण में लगाने की अनुमति प्रदान की।
29.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के कार्यों का Automation कराये जाने हेतु National Informatics Centre (NIC) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एवं National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा संस्थान जैसी संस्थाओं के माध्यम से Technical Suport (तकनीकी सहायता) प्राप्त करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्णय लिया कि इसका मुख्य केन्द्र प्रशासकीय भवन में बनाया जाय।
30.	विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों की साफ–सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु नगर निगम से हुई विस्तृत चर्चा के अनुसार नगर निगम के माध्यम से कराये जाने पर दिनांक 27.05. 2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
31.	विश्वविद्यालय परिसरों एवं नालियों की साफ–सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर सम्बन्धी अधिसूचना संख्या : दीदउगोविवि/सं0का0/2017/642 दिनांक 04.07.2017 से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।

32.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में किये जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान RTGS/Online के माध्यम से करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में किये जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान **RTGS/Online/e-payment** के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर करने की अनुमति प्रदान की।
33.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय कोर्ट (Court) सभा का चुनाव कराने हेतु समिति गठित करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय कोर्ट (Court) सभा का चुनाव कराने हेतु समिति गठित करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया।
34.	विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सैनिक कल्याण परिषद् के माध्यम से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों की सेवा लेने सम्बन्धी आदेश संख्या 636/स0का0/2017 दिनांक 16.06.2017 से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
35.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में उपलब्ध वाई–फाई की अद्यतन सेवा से अवगत होना तथा इसके उन्नयन पर विचार किया।
36.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर सेन्टर में डाटा सेण्टर बनाने एवं LAN की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर विचार किया। कार्य परिषद् बिन्दु संख्या 35 एवं 36 पर एक साथ विचार करते हुए निर्णय लिया कि वाई–फाई की सेवा उपलब्ध कराने तथा डाटा सेण्टर एवं LAN की स्थापना के सम्बन्ध में पुनः सर्वे कराकर कार्यवाही की जाय।
37.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती हेतु जारी शासनादेश संख्या – 124/सत्तर–1–2017–16 (114)/2010–टी0सी0 दिनांक 08 अप्रैल, 2017 को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय परिनियमावली एवं अध्यादेश को अद्यतन करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती हेतु जारी शासनादेश संख्या – 124/सत्तर–1–2017–16 (114)/2010–टी0सी0 दिनांक 08 अप्रैल, 2017 को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय परिनियमावली में यथास्थान समाहित करने सम्बन्धी सूचना से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।
38.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में लेखन सामग्रियों आदि की आपूर्ति हेतु व्यवस्था बनाने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में लेखन सामग्रियों आदि की आपूर्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि पूरे वित्तीय वर्ष हेतु टेण्टर के माध्यम से दर एवं आपूर्तिकर्ता फर्म निर्धारित कर लिया तथा सम्बन्धित फर्म से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाय कि पूरे वित्तीय वर्ष निर्धारित दर पर ही आपूर्ति करेंगे।
39.	कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के विभिन्न सामग्रियों– वाटर प्यूरिफायर, फोटो कॉपी मशीन, वाटर कूलर, ए0सी0, कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिन्टर की मरम्मत हेतु ए0एम0सी0 कराये पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में लगे वाटर प्यूरिफायर, फोटो कॉपी मशीन, वाटर कूलर की मरम्मत हेतु ए0एम0सी0 कर लिया जाय।

40.	कार्य परिषद् श्री विपिन सिंह, विधायक, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर का पत्र दिनांक 08.06.2017 जो विश्वविद्यालय के अभियांत्रिक विभाग में कार्यरत दैनिक अनुरक्षण कर्मचारियों के प्रकरण से सम्बन्धी है, पर विचार किया। कार्य परिषद् ने श्री विपिन सिंह, विधायक, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर का पत्र दिनांक 08.06.2017 पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि शासनादेश सं0 2734/सत्तर–4–2005–4(15)/2004 दिनांक 29 सितम्बर, 2005 के पैरा–4 में दिये गये प्रावधान तथा अन्य अद्यतन शासनादेशों का परीक्षण वित्त समिति से करा लिया जाय तथा शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माननीय विधायक श्री विपिन सिंह से भी अनुरोध किया जाय कि वह अपने स्तर से विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए शासन से अनुरोध करें।
41.	कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 37(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई पूर्वानुमति के दृष्टिगत कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशोपरान्त सम्बद्धता प्रदान करने विषयक आदेशों की पुष्टि करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि प्रस्तुत आदेशों में कितने वर्ष के लिए सम्बद्धता प्रदान की गयी है, यथास्थान आवश्यक संशोधन करते हुए इस बैठक के कार्यवृत्त के साथ पूरी सूची मा0 कार्यपरिषद् के सदस्यों को भेजी जाय।
42.	कार्य परिषद् ने दो नये वाहन क्रय करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि पुराने वाहनों की नीलामी कर दी जाय तथा उनके स्थान पर दो अच्छे वाहन क्रय कर लिये जाय।
43.	कार्य परिषद् ने श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष, कर्मचारी संघ, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का पत्र दिनांक 14.07.2017, जो "अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ" के नाम से कर्मचारी संघ के बगल में निर्मित भवन का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ" करने सम्बन्धी है, पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने "अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ" के नाम से कर्मचारी संघ के बगल में निर्मित भवन का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ" करने के सम्बन्ध में तथ्य प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया।
44.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार किया–
क.	कार्य परिषद् कार्यालय आदेश संख्या 10308/सा0प्र0/2017 दिनांक 03.07.2017 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 27.04 में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत प्रो0 गोपी नाथ, आचार्य, वाणिज्य विभाग को दिनांक 05.07.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता– वाणिज्य संकाय के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
ख.	कार्य परिषद् कार्यालय आदेश संख्या 10309/सा0प्र0/2017 दिनांक 05.07.2017 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.20 (5) (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान

	एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत प्रो0 गोपी नाथ, आचार्य, वाणिज्य विभाग को दिनांक 04.07.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए व्यवसाय प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
ग.	कार्यालय आदेश संख्या 10411/सा0प्र0/2017 दिनांक 24.07.2017 द्वारा डॉ0 अवनीश राय, सहयुक्त आचार्य, अंग्रेजी विभाग को विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 15.21 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों के अधीन दिनांक 01.11.2016 से एक वर्ष तक दिये गये विराम अवकाश के सम्बन्ध में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 9586/सा0प्र0/2016 दिनांक 02.12. 2016 के क्रम में उनके द्वारा अपना प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण कर दिनांक 30.05.2017 को कार्यभार ग्रहण कर लिये जाने के फलस्वरूप विराम अवकाश की शेष बची अवधि दिनांक 31.05.2017 से 31.10.2017 तक को निरस्त करने सम्बन्धी सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
घ.	कार्य परिषद् श्री सुशिलकुमार प्रजापती, अध्यक्ष, उत्तरभारती, पुणे शहर, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, पूणे के दिनांक रहित पत्र, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का नाम "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर" रखे जाने के सम्बन्ध में विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि चूँकि विश्वविद्यालय का नाम "दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर" विधान सभा द्वारा पारित अध्यादेश के माध्यम से किया गया है, इसलिए विश्वविद्यालय का नाम "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर" करने पर विचार करना सम्भव नहीं है।**
ङ.	कार्य परिषद् श्री राकेश लाल श्रीवास्तव, परिचर, नियन्ता कार्यालय के लम्बे समय से अनुस्थित रहने के प्रकरण पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि श्री राकेश लाल श्रीवास्तव, परिचर, नियन्ता कार्यालय को पुनः पत्र भेजकर पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो नियमानुसार उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाय।**
च.	कार्य परिषद् ने कार्य परिषद् सदस्य माननीय श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी के पत्र दिनांक 21 जुलाई, 2017 पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि– **1. कुलपति आवास के बगल में स्थिति सिंचाई विभाग को दी गयी जमीन के सम्बन्ध में शासन को पत्र लिखकर नियमानुसार विश्वविद्यालय के कब्जे में लेने की कार्यवाही की जाय।** **2. विश्वविद्यालय में कृषि संकाय की स्थापना एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए जमीन की माँग शासन से की जाय।**

प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित, सदस्य– कार्यपरिषद् द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 05.10.2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 (श्रीमती) शैलजा सिंह	सदस्य
3.	प्रो0 राम प्रकाश	सदस्य
4.	प्रो0 शोभा गौड़	सदस्य
5.	प्रो0 चन्द्रशेखर	सदस्य
6.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
7.	डॉ0 रजीउर रहमान	सदस्य
8.	डॉ0 (श्रीमती) मधु सत्यदेव	सदस्य
9.	डॉ0 मानेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 स्वयं प्रकाश लाल	सदस्य
11.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
12.	श्री पी0एन0 सिंह, लेखाधिकारी	कार्यवाहक वित्त अधिकारी
13.	श्री शत्रोहन वैश्य, कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो0 गोपाल प्रसाद, आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 सुनीता मुर्मू, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित, आचार्य, भूगोल विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य प्रो0 शोभा गौड़, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 चन्द्रशेखर, आचार्य, विधि विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता, आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं डॉ0 मधु सत्यदेव, प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की–

बिन्दु संख्या	बिन्दु
1.	कार्यपरिषद् ने डॉ0 सुष्मिता भट्टाचार्या, सहयुक्त आचार्य, अंग्रेजी विभाग के आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 25.08.2011 की संस्तुतियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 1212 / एसबी0 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 1212 / एसबी0 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 के निम्नलिखित क्रियात्मक अंश – Having considered the rival contentions of the parties and in the light of the order passed by the Hon'ble Apex Court, recommendation of the Selection Committee with regard to the fact that on the same very ground the juniors to the petitioner were promoted under the CAS Scheme, the petitioner is also entitled for

	promotion from the post of Reader to the post of Professor w.e.f. her eligibility under the CAS Scheme, in the result the writ petition is allowed, with cost in the following terms : 1. We hereby quash the last line of the letter dated 2.7.2012 contained as Annexure No.-1 which contains "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय दिनांक 29. 02.2012 के आलोक में" and Executive Council resolution dated 3.7.2012 bearing Agenda No.0 36-A contained as annexure No.-2 to the writ petition. 2. In light of the recommendations of Selection Committee the petitioner is entitled to be considered for promotion to the post of Professor under the CAS Scheme from the date of her eligibility under CAS Scheme with all consequential benefits. पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में डॉ0 सुष्मिता भट्टाचार्या, सहयुक्त आचार्य, अंग्रेजी विभाग के आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 25.08.2011 की संस्तुति का बन्द लिफाफा खोला जाय। चयन समिति की संस्तुति सम्बन्धी लिफाफा खोले जाने के उपरान्त चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि डॉ0 सुष्मिता भट्टाचार्य को उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाय तथा आचार्य पद के अर्हता की तिथि का निर्धारण कुलसचिव कार्यालय विहित प्रावधान के अन्तर्गत किया जायेगा।
2.	कार्यपरिषद् ने डॉ0 संगीता पाण्डेय, सहयुक्त आचार्य, समाजशास्त्र विभाग के आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 04.02.2010 की संस्तुतियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 54118/2013 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 54118/2013 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 के निम्नलिखित क्रियात्मक अंश – Accordingly, the impugned order dated 27-05-2013 passed by the Chancellor, Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University as well as disapproval of the UGC dated 05-05-2010 are hereby set asied and writ petition is allowd. The matter is remitted back to the Executive Council of Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University to consider the case of the petitioner a fresh in the light of the aforesaid judgement as well the order passed by this Court. The matter is lingering since 2012, therefore, the Vice-Chancellor will be well advised call a meeting of Executive Council say within a period of one month from the date a certified copy of the order is produced before the Committee of Management and take a decision in accordance with law. पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में डॉ0 संगीता पाण्डेय, सहयुक्त आचार्य, समाजशास्त्र विभाग के आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04.02.2010 की संस्तुति का बन्द लिफाफा खोला जाय। चयन समिति की संस्तुति से सम्बन्धी लिफाफा खोला गया एवं चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया कि उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाय तथा आचार्य पद के अर्हता की तिथि का निर्धारण कुलसचिव कार्यालय द्वारा विहित प्रावधान के अन्तर्गत किया जायेगा। उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् के माननीय सदस्य प्रो0 राम प्रकाश, आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ने अपनी मौखिकी आपत्ति दर्ज करायी।

3.	कार्यपरिषद्, विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अभियन्ता के रिक्त पद पर निश्चित मानदेय के आधार पर सेवा लेने पर, कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2017 के बिन्दु संख्या– 21 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में दिनांक 29.08.2017 को चयन समिति आहूत की गयी थी, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी अर्ह नहीं पाया गया। विश्वविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान में विश्वविद्यालय अभियन्ता का एक एवं अवर अभियंता के रिक्त तीन पदों के सापेक्ष सेवानिवृत्त एक सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं एक अवर अभियन्ता (सिविल) से निश्चित मानदेय के आधार पर सेवा लेने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान में विश्वविद्यालय अभियन्ता का एक एवं अवर अभियन्ता के रिक्त तीन पदों के सापेक्ष सेवानिवृत्त एक सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं एक अवर अभियन्ता (सिविल) से निश्चित मानदेय के आधार पर सेवा लेने हेतु विज्ञापन निकालकर साक्षात्कार करते हुए नियुक्ति कर ली जाय।**
4.	अध्यक्ष की अनुमति से विश्वविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु से सम्बन्धी शासनदेश संख्या–3/2017/730/सत्तर–1–2017–16(56)/2016 दिनांक 27 सिम्बर, 2017 पर विचार करते हुए उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 50 (6) में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा स्वीकृत परिनियम **"परन्तु अग्रतर यह भी कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात 02 वर्ष का सेवाविस्तार प्रदान किया जायेगा"**, को विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 15.24 तथा 16.15 में यथास्थान समाहित करने सम्बन्धी आदेश से अवगत हुई एवं इसको **विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 15.24.3 तथा 16.15.1 में यथास्थान समाहित करने का अनुमोदन प्रदान किया।**

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.10.2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 (श्रीमती) शैलजा सिंह	सदस्य
3.	डॉ0 अवधेश सिंह	सदस्य
4.	प्रो0 ईश्वरशरण विश्वकर्मा	सदस्य
5.	प्रो0 शोभा गौड़	सदस्य
6.	प्रो0 चन्द्रशेखर	सदस्य
7.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
8.	डॉ0 (श्रीमती) मधु सत्यदेव	सदस्य
9.	श्री धर्मेन्द्रनाथ वर्मा	सदस्य
10.	डॉ0 स्वयं प्रकाश लाल	सदस्य
11.	श्री वीरेन्द्र चौबे	वित्त अधिकारी
12.	श्री शत्रोहन वैश्य, कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों के साथ–साथ मा0 कुलपति जी का स्वागत किया। तत्पश्चात् मा0 कुलपति जी ने कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया।

इसके उपरान्त कुलसचिव ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.10.2017 की संस्तुतियों को विचारार्थ प्रस्तुत किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.10.2017 की संस्तुतियों को स्वीकार किया तथा निर्णय लिया कि अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत बिन्दु में प्रो0 जयन्त विष्णु नार्लीकर, **निदेशक** के स्थान पर **पूर्व निदेशक** शब्द संशोधित कर लिया जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष

F:Ex_Cu_20617

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 20.11.2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रो0 (श्रीमती) शैलजा सिंह	सदस्य
3.	डॉ0 अवधेश सिंह	सदस्य
4.	प्रो0 ईश्वरशरण विश्वकर्मा	सदस्य
5.	प्रो0 राम प्रकाश	सदस्य
6.	प्रो0 शोभा गौड़	सदस्य
7.	प्रो0 चन्द्रशेखर	सदस्य
8.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
9.	डॉ0 रजीउर रहमान	सदस्य
10.	डॉ0 (श्रीमती) मधु सत्यदेव	सदस्य
11.	डॉ0 अरविन्द कुमार सिंह	सदस्य
12.	श्री वीरेन्द्र चौबे	वित्त अधिकारी
13.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों के साथ–साथ मा0 कुलपति जी का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा, समाजशास्त्र विभाग, उदित नारायण पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 अरविन्द कुमार सिंह, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, संत विनोबा पी0जी0 कालेज, देवरिया का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। इसके उपरान्त कुलसचिव ने मा0 कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची विचारार्थ प्रस्तुत किया–

1. कार्यपरिषद् ने यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा विषय में स्तर एक से दो (एजीपी 6000–7000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 15.11.2017 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों पर विचार किया।

   सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने यू0जी0सी0 विनियमन जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत डॉ0 राज वीर सिंह, सहायक आचार्य,

शारीरिक शिक्षा विषय को स्तर एक से दो (एजीपी 6000–7000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 15.11.2017 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित करते हुए सहायक आचार्य चरण–2 की अर्हता तिथि दिनांक 17.07.2015 से स्वीकार किया।

2 कार्यपरिषद् ने विकास समिति की बैठक दिनांक 13.10.2017 द्वारा पारित प्रस्ताव JCI Gorakhpur Midtown Gorakhpur संस्था द्वारा विश्वविद्यालय में 100 फुट राष्ट्र ध्वज लगाने पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने JCI Gorakhpur Midtown Gorakhpur संस्था द्वारा विश्वविद्यालय में 100 फुट राष्ट्रीय ध्वज लगाने की स्वीकृति प्रदान की।

3. कार्यपरिषद् ने श्री अनिरूद्ध सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता (सिविल) को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.10.2017 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रक्रिया के अन्तर्गत निश्चित मानदेय के आधार पर सेवा लेने के लिए नियुक्त किया गया, से अवगत होना।

कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।

4. अध्यक्ष की अनुमति से वित्त अधिकारी ने श्री महेन्द्र सिंह, अध्यक्ष–कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 18.11.2017 जो विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष निश्चित मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कार्य लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि इस कार्य का निष्पादन वित्त अधिकारी व कुलसचिव द्वारा नियमानुसार किया जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 15. 12.2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो0 विजय कुमार सिंह	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रो0 शैलजा सिंह	सदस्य
3.	प्रो0 ईश्वरशरण विश्वकर्मा	सदस्य
4.	प्रो0 शोभा गौंड़	सदस्य
5.	प्रो0 चन्द्रशेखर	सदस्य
6.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
7.	डा0 रजीउर रहमान	सदस्य
8.	डा0 मधु सत्यदेव	सदस्य
9.	डा0 धर्मेन्द्र नाथ वर्मा	सदस्य
10.	डा0 मानेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
11.	डा0 अरविन्द कुमार सिंह	सदस्य
12.	डा0 स्वंय प्रकाश लाल	सदस्य
13.	श्री बीरेन्द्र चौबे	वित्त अधिकारी
14.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की–

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 30.07.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 30.07.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया। इस बैठक के बिन्दु संख्या–25, जो ज्ञान भारती महाविद्यालय, रगड़गंज, कुशीनगर की मान्यता समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर पुनर्परीक्षण हेतु कलपति जी को अधिकृत किया गया था, इस पर कुलपति जी ने अवगत कराया कि पूर्व निर्गत आदेश सं0 645/कुलपति/2017 दिनांक 09/11 फरवरी, 2017 का एवं पत्रावली का उन्होने परीक्षण कर लिया हैं और वह उससे सहमत हैं। तदक्रम में विचारोपरान्त सन्दर्भित महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की गयी।

F\Ex_Cu_30717

3.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 05.10.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया गया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 05.10.2017 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या– 4 को निम्नलिखित संशोधन के साथ सम्पुष्ट किया–** **बिन्दु संख्या– 4 में "परन्तु अग्रतर यह भी कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात 02 वर्ष का सेवाविस्तार प्रदान किया जायेगा", के आगे निम्नलिखित को जोड़ते हुए पढ़ा जाय–** **"परन्तु अग्रतर यह भी कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात् 02 वर्ष का सेवाविस्तार प्रदान किया जायेगा", अर्थात् उपर्युक्त परन्तुक में राष्ट्रीय पुरस्कारों के अन्तर्गत पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री पुरस्कार), शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ज्ञान पीठ अवार्ड, डॉ0 बी0सी0 रॉय अवार्ड, नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एण्ड ट्रेडिशनल नालेज अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार तथा राज्य पुरस्कार के अन्तर्गत सरस्वती सम्मान, शिक्षक श्री सम्मान, विज्ञान सम्मान पुरस्कार, विज्ञान गौरव एवं विज्ञान रत्न सम्मिलित रहेंगे"।**
4.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 05.10.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 05.10.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।**
5.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.10.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया गया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 14.10.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।**
6.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.10.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 14.10.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।**
7.	कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 20.11.2017 के कार्यवृत्त की संम्पुष्टि पर विचार किया गया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 20.11.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।**
8.	कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 20.11.2017 मे लिये गये निर्णय के कियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 20.11.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।**
9.	कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.08.2017 की संस्तुतियों पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.08.2017 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।**
10.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 18.5.2016 के बिन्दु संख्या– 02 द्वारा लिये गये निर्णय के

	अनुपालन में डॉ0 परमहंस पाठक की उपाचार्य पद पर दिनांक 08.08.2013 को की गयी प्रोन्नति कार्यवाही पर विचार करने के लिए राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त निर्देश पर विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली में रिसर्च एसोसिएट की सेवा जोड़े जाने से सम्बन्धी परिनियम तैयार कर माननीय महामहिम को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाय। मा0 कुलाधिपति से स्वीकृति होने के उपरान्त इस सन्दर्भ मे अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
11.	कार्यालय आदेश संख्या 10607/सा0प्र0/2017 दिनांक 30.08.2017 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 गोपाल प्रसाद, आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले, तक के लिए नियन्ता पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
12.	कार्यालय आदेश संख्या 10788/सा0प्र0/2017 दिनांक 14.10.2017 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 चन्द्रशेखर, आचार्य, विधि विभाग का स्वामी विवेकानन्द छात्रावास के अभिरक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले, तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
13.	कार्यालय आदेश संख्या 10768/सा0प्र0/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ0 अनुराग द्विवेदी, समाजशास्त्र विभाग की नाथ चन्द्रावत छात्रावास के अधीक्षक पद पर दिनांक 22.08.2017 से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले, तक के लिए अवधि विस्तार सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
14.	कार्यालय आदेश सं0 10648/साप्र0/2017 दिनांक 16.09.2017 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 28.08.2017 के अनुपालन में डा0 लक्ष्मी सुमन, चिकित्साधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
15.	कार्यालय आदेश संख्या 10989/सा0प्र0/2017 दिनांक 01.12..2017 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.20 (यथा संशोधित) में दिये गये प्रावधान एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में चक्रानुक्रम के अन्तर्गत डॉ0 सुषमा पाण्डेय, आचार्य, मनोविज्ञान विभाग को दिनांक 02.12.2017 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
16.	कार्य परिषद् ने श्री सरस्वती चतुर्वेदी, डाटा इन्ट्री आपरेटर, सामान्य प्रशासन अनुभाग के आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2017, जो स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति सम्बन्धी है, पर विचार किया। कार्यपरिषद ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सरस्वती चतुर्वेदी, डाटा इन्ट्री आपरेटर, सामान्य प्रशासन अनुभाग स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध शासनादेश में दी गयीं व्यवस्था के अनुरुप अर्हता को पूरी नही करते हैं। अतः श्री चतुर्वेदी को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता।

17.	कार्यपरिषद ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक : 10.12.2017 की संस्तुतियों पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विद्या परिषद की बैठक दिनांक 10.12.2017 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।**
18.	कार्य परिषद ने डॉ0 यशवन्त सिंह, एसोसिएट प्रोफोसर वनस्पति विज्ञान विभाग का CAS के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु की गयी Selection Committee की संस्तुति का लिफाफा कार्यपरिषद के समक्ष खोले जाने हेतु विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद ने निर्णय लिया कि यदि डॉ0 यशवन्त सिंह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति का आवेदन करते है, तो नियमानुसार उनके आवेदन पर विचार किया जाय।**
19.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु सम्बन्धी शासनादेश संख्या–3/2017/730/सत्तर–1–2017–16(56)/2016 दिनांक 27 सितम्बर, 2017 पर सम्यक् विचार किया और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा–6 के अन्तर्गत राष्ट्रीय/राज्य परुस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात् 02 वर्ष का सेवाविस्तार अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासन के निर्णय को विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 15.24 तथा 16.15 में निम्नलिखित के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया– "परन्तुक अग्रतर यह भी कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात् 02 वर्ष का सेवाविस्तार प्रदान किया जायेगा", अर्थात् उपर्युक्त परन्तु में राष्ट्रीय पुरस्कारों के अन्तर्गत पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री पुरस्कार), शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ज्ञान पीठ अवार्ड, डॉ0 बी0सी0 रॉय अवार्ड, नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एण्ड ट्रेडिशनल नालेज अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार तथा राज्य पुरस्कार के अन्तर्गत सरस्वती सम्मान, शिक्षक श्री सम्मान, विज्ञान सम्मान पुरस्कार, विज्ञान गौरव एवं विज्ञान रत्न को सम्मिलित रहेंगे " पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने निर्णय लिया कि यदि किसी शिक्षक को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उपरोक्त पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उसकी 2 वर्ष की सेवा विस्तार के सम्बन्ध में शासन को सन्दर्भित कर दिशा–निर्देश प्राप्त कर लिया जाय।**

20.	**कार्यपरिषद ने अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया–**	
	1.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्याः 1101/साप्र/2017 दिनांक 13.12.2017 द्वारा श्री संजय बाजपेयी पुत्र स्व0 वी0बी0 बाजपेयी, प्रचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में स्थापित राहुल सांस्कृत्यायन पीठ में सृजित पद के सापेक्ष कनिष्ठ सहायक के पद पर विनियमित किये जाने के संम्बधी आदेश से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।
	2.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्याः 1102/साप्र0/2017 दिनांक 13.12.2017 द्वारा निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।
	3.	कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2017 के बिन्दू संख्या 43 पर कर्मचारी संघ के

		बगल में विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित ""अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ"" के नाम पर निर्मित भवन का नाम "" उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ"" करने के सम्बन्ध में तथ्य प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया। मा0 कुलपति जी द्वारा प्रो0 ईश्वर शरण विश्वकर्मा (संयोजक) एवं प्रो0 रविशंकर सिंह (सदस्य) की दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया। गठित समिति द्वारा दी गयी आख्या पर विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा "अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ" भवन का नाम "दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ भवन" करने सम्बन्धी गठित समिति की संस्तुति को स्वीकार किया, जिसके अनुसार अब "अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ" भवन का नाम "दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ भवन" होगा।
	4.	कार्यपरिषद ने श्रीमती कमला श्रीवास्तव द्वारा प्रो0 द्वारका नाथ, दर्शनशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आवेदन पत्र दिनांक 12.10. 2017 जो स्नातकोत्तर स्तर पर संगीत विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने सम्बन्धी है, पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि इस हेतु निर्धारित धनराशि रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) जमा कराने हेतु सम्बन्धित को पत्र निर्गत कर दिया जाय।

प्रो0 ईश्वरशरण विश्वकर्मा, सदस्य– कार्यपरिषद् द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष